न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

वाद संख्या 61/2015 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 11.09.2015 गोरधनलाल मीना (RAS)

बउनवान

1. रामचरण आत्मज सूरजमल जाति मीणा निवासी रूपपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. रामबिलास आत्मज सूरजमल जाति मीणा निवासी रूपपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
3. जनकू पुत्री सूरजमल जाति मीणा निवासी रूपपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
4. मूर्ति पुत्री सूरजमल जाति मीणा निवासी रूपपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
5. मन्नू पुत्री सूरजमल जाति मीणा निवासी रूपपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
6. कलावती पुत्री सूरजमल जाति मीणा निवासी रूपपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
7. धन्नीबाई बेवा सूरजमल जाति मीणा निवासी रूपपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– वादीगण –

बनाम

1. गेंन्दया आत्मज हीरालाल जाति मीणा निवासी रूपपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. सावलिया आत्मज हीरालाल जाति मीणा निवासी रूपपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी हाल निवास ग्राम पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
3. सुरतान बेवा हीरालाल जाति मीणा निवासी रूपपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– प्रतिवादीगण –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188
आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 16.08..2019

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 17 खसरा नम्बर 154 रकबा 0.28 हैक्टर वाके ग्राम रूपपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

वाद पत्र की चरण कम 1 में वर्णित कृषि भूमि सन 1988 में हीरा आत्मज औंकार मीणा के खाते मे दर्ज थी। जिसको जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादीगण के पिता सूरजमल आत्मज भूरा जाति मीणा निवासी रूपपुरा में खरीद कर कब्जा काश्त प्राप्त किया था। वाद पत्र की चरण कम 1 में वर्णित कृषि भूमि को वादीगण के पिता ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हीरा से दिनांक 15.07.1988 को हीरालाल से खरीद किया तब से वाद पत्र की चरण कम 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 154 रकबा 0.28 हैक्टर पर वादीगण के पिता व उनकी मृत्यु उपरान्त से वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की जानकारी में शांतिपूर्वक काश्त चलें आ रहे है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को अपने नाम करवाने के लिये वादीगण के पिता ने कार्यवाही की इसी दौरान वादीगण के पिता की मृत्यु हो गई। नामान्तकरण वादी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हो सका। इसी दौरान प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु होने से विरासत में प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। और अन्त में निवेदन किया कि वादीगण के पिता द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की गई कृषि भूमि को वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकार है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण ने अपने साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पी.डब्लू.1, गवाहान पी.डब्लू 2 केसरा, पी.डब्लू 3 रामलक्ष्मण साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में विक्रय पत्र दिनांक 15.07.1988 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2057–2060 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 प्रदर्श 3 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया।

हमारे द्वारा वादीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिया कि वाद विषयक आराजी हीरा आत्मज औंकार के नाम दर्ज थी। और हीरा ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादीगण के पिता सूरजमल को विक्रय किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया था। लेकिन राजस्व अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों की गलतीवश राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दर्ज नही किया गया। वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो गया। इसलिये वादीगण वाद विषयक आराजी कृषि भूमि बाबत अधिकार घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। अन्त ममें प्रार्थना की गई कि वादीगण का वाद पत्र डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा वादीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श 1 का अवलोकन किये जाने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पति हीरा आत्मज औंकार के द्वारा खसरा नम्बर 154 रकबा 0.28 है. कृषि भूमि सूरजमल आत्मज भूरा को दिनांक 15.07.1988 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान किया जाकर कब्जा दे दिया गया था। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.07.1988 के पश्चात वाद विषयक आराजी हीरा आत्मज औंकार के खातेदारी अधिकार धारा 54 सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम व धारा 63 (4) आर. टी.एक्ट. के तहत वादीगण के पिता के पक्ष में हस्तान्तरित हो चुके है। प्रतिवादीगण की और से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खण्डन बाबत कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये गये। जिसके अभाव में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.07.1988 पूर्वतया विधि सम्वत होना प्रतीत होता है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के पश्चात वाद विषयक आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 55 दिनांक 30.06.2000 तस्दीक किया गया। जो पूर्णतया अवैधानिक है। अवैधानिक होने से

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाना एवं वाद विषयक आराजी पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को खाता संख्या 17 खसरा नम्बर 154 रकबा 0.28 हैक्टर वाके ग्राम रूपपुरा तहसील इन्द्रगढ पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर दिनांक 16.08.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिगरी ब मुकदमें इब्तदाई
(O 20, Rr 6,7)
(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी
ब इजलास श्री योगेशचन्द्रलाल मीणा R.A.S.
रामचरण पुत्र श्री सूरजमल जाति मीणा बनाम 1. गोविन्दा पुत्र श्री हीरालाल जाति मीणा निवासी
निवासी रूपपुरा तहसील इन्द्रगढ़ रूपपुरा तहसील इन्द्रगढ़ वगैरह
जिला बून्दी वगैरह प्रतिवादीगण
वादीगण P.T.O

दावा बाबत 88, 89 आर.टी.ए.
मुकदमा नम्बर 61/दावा/15 सन
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी
मिनजानिब मुद्दई रूबरू
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को खाता सं. 17 खसरा नं. 154 रकबा 0.28 हैक्टर वाके ग्राम रूपपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के सम्बन्ध में खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किये जाने का आदेश किया जाता है।

खर्चा इन
निज मुबलिग बाबत
मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख
से तारीख अदायगी तक का अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16-8-2019 माह
सन को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

2. रामविलास आ. सूरजमल जाति मीणा निवासी कपपुरा तहसील इन्द्रगढ़ ब्रू
3. जनकू पुत्री सूरजमल जाति मीणा निवासी कपपुरा —— " —— "
4. भूरि पुत्री सूरजमल जाति मीणा निवासी कपपुरा —— " —— "
5. मन्नु पुत्री सूरजमल जाति मीणा निवासी कपपुरा —— " —— "
6. कलावती पुत्री सूरजमल जाति मीणा निवासी कपपुरा —— " —— "
7. धन्नीबाई बेवा सूरजमल जाति मीणा निवासी कपपुरा —— " —— "

- - - वादीगण - - - -

बनाम

2. सांवलिया आ. हीरालाल जाति मीणा निवासी कपपुरा तहसील इन्द्रगढ़ ब्रू
3. सुरतान बेवा हीरालाल जाति मीणा निवासी कपपुरा —— " ——
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-8-25	पत्रावली पेश हुई। ध्यान पेश किया। निर्णय सुनाया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कौसल शुल्क होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

Scanned by CamScanner